

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय
क. बा. १

19/12/23

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों को नोटिस पूर्व में रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको करीब 2.5 माह का समय व्यतीत हो चुका है। विप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। विप्रार्थीगणों को न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाई गई। अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थीगणों एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगणों के खेतों की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिसमें से प्रार्थीगणों एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेतों की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थीगण के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थीगण अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थीगण का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा करा कर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफतर हो।

विजय चव्हाण
सहायक कलक्टर (SDB) 20/12/23
बायतु
जिला - बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बालोतरा ।

क्रमांक : वाद/2023/1261

दिनांक : 19/12/23

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थी

अम्बालाल पुत्र वीरमाराम जाति गरूड़ा
निवासी खारड़ाबेरा, बोड़वा, तहसील
बायतु

इन्द्राराम पुत्र नारणाराम वगैरा 73
जातियान गरूड़ा/जाट/नाई, निवासी
खारड़ाबेरा, बोड़वा, तहसील बायतु

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 244/2023

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा खारड़ाबेरा, पटवार हल्का बोड़वा तहसील बायतु जिला बालोतरा के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 414, 538/272, 540/272, 571/441 रकबा क्रमशः 0.3964, 0.3236, 0.2589, 8.1952 हैक्टेयर व मौजा बोड़वा पटवार हल्का बोड़वा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 644/307 रकबा 10.1610 हैक्टेयर व मौजा खवालिया नाडा पटवार हल्का बोड़वा के खेत खसरा नम्बर 331/268 रकबा 2.1924 हैक्टेयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 1000/-जमा करा कर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद/2023/1262-66

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु,
2. पटवार हल्का बोड़वा तहसील बायतु जिला बालोतरा को भेज कर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी अम्बालाल पुत्र वीरमाराम
4. विप्रार्थी इन्द्राराम पुत्र नारणाराम वगैरा 73
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा

19/12/23
सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर
दिनांक : 19/12/23

19/12/23
सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु
जिला - बाड़मेर